राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3942/2025

अनिल गर्ग **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायती राज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् करौली, जिला करौली।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति नादौती, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अमन गर्ग, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति नादोती जिला करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 20.05.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को पत्र प्रेषित कर पंचायत समिति नादौती में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में कार्य की अधिकता होने के कारण अपीलार्थी को पंचायत समिति नादौती में लगाये जाने के लिए लिखा गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 23.02.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा स्पष्ट से यह नहीं माना है कि विकास अधिकारी को अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 11.02.2025 (अनुलग्नक–5) के नवीनतम रिक्ति चार्ट के अनुसार अतिरिक्त विकास अधिकारी के सभी स्वीकृत पद भरे हुए है। उक्त पद पर अपीलार्थी की नियुक्ति किसी रिक्ति से उत्पन्न किसी प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर उचिन नहीं ठहराई जा सकती। किसी भी स्वीकृत रिक्त पद का अभाव अपीलार्थी की नियुक्ति को अनियमित, विधि–विरूद्ध है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पास वर्तमान में कोर्ट शाखा, सूचना का अधिकार, चुनाव संबंधी कार्य आदि कार्यो का प्रभार है जिसके कारण उक्त शाखा का प्रभार दिये जाने पर कार्य की अधिकता हो जायेगी। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.05.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभारी अधिकारी के कर्तव्यों से मुक्त करने के निर्देश दिये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य